तारीख हुक्म	बहादुर बनाम बनवारी वगै. हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं. - 99/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
17-2-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित साक्ष्य वादी मे वादी बहादुर सिंह का मुख्य परीक्षण मे शपथ पत्र पेश किया। जो शामील पत्रावली किया गया। वकील वादी और साक्ष्य पेश नही करना चाहते है। अत: साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। वकील वादी बहस हेतु अवशर चाहते है। बहस हेतु अन्तिम अवशर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24-2-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24.02.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गयी। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.03.10 12:11:25 IST Reason: SelfAttested (हस्ताक्षर) 24/02/22 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
98 / 2020	2020 / 165	19.10.2020	24.02.2022

उनवान

बहादुर सिंह पुत्र गणपत राम जाति मीणा उम्र–78 साल, निवासी राजपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0

वादीगण

बनाम्

1. बनवारी पुत्र लकड़िया उम्र 54 साल जाति मीणा निवासी ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. औमप्रकाश पुत्र लकड़िया उम्र– 60 साल, जाति मीणा निवासी ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. पटवार हल्का सांवलपुरा–तंवरान, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री सरदार सिंह चौधरी, वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 4

वादपत्र बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.10 12:11:25 IST
Reason: SelfAttested

24/02/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1040 रकबा 2.68 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके वर्तमान कृषि भूमि खसरा नम्बर 1038, 1039, 978 कुल किता 3 कुल रकबा 2.68 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 04.09.96 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर प्रतिफल राशि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अदा कर विक्रय लेख विधिवत रूप से उप पंजीयक कार्यालय नीमकाथाना में तस्दीक व पंजीबद्ध करवाकर एंव भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा वादी ग्रामीण पृष्ठभूमि का भोला भाला व्यक्ति है। जिसने विक्रय लेख तत्कालीन पटवारी हल्का को भूमि की खातेदारी विक्रय लेख के आधार पर दर्ज करवाने हेतु दे दिया गया था तथा पटवारी हल्का द्वारा विक्रय लेख के आधार पर नामान्तकरण संख्या 738 भरकर तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत सांवलपुरा तंवरान में पेश किया गया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत सांवलपुरा तंवरान ने वोटों की राजनैतिक रंजिश के चलते दिनांक 20.08.2002 निरस्त फरमा दिया गया तथा वादी ग्रामीण पृष्ठभूमि का भोला भाला व्यक्ति होने के कारण उक्त नामान्तकरण के निर्णय के विरूद्ध तत्समय अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका तथा नामान्तकरण प्रकिया एक अस्थिर प्रकिया होने तथा नामान्तकरण निरस्त किये जाने से वादी के हितों पर किसी प्रकार का कोई विपरित असर नहीं पड़ता है तथा वादी उक्त भूमि की खातेदारी रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 04.09.96 के आधार पर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि की गलत खातेदारी की आड में दिगर को विक्रय रहन अन्तरण करने एंव भूमि को बैंक के रहन रखकर भारग्रस्त करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को दिनांक 10.10.2020 को धमकी दी कि भूमि को बैंक के रहन रखकर भूमि पर लोन उठाकर भूमि को भारग्रस्त करके रहूंगा या भूमि को दीगर को विक्रय रहन अन्तरण कर भूमि का भू अभिलेख दिगर के नाम परिवर्तन करवाकर रहने की धमकी देने पर बिनाय–ए–दावा पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें:– यह कि घोषणा की जावें कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1038, 1039, 978 कुल किता 3 कुल रकबा 2.6800 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादी को रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 04.09.96 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की [illegible] राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी [illegible] का नाम हजफ किये जाने का आदेश जरिए डिक्री प्रदान किये जाने व प्रतिवादी [illegible] को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी के हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.10 12:41:25 IST
Reason: SelfAttested

24/02/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मज़ाहमत नहीं करने बाबत उक्त दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार नीमकाथाना से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 714 दिनांक 27.09.2021 के द्वारा चाही गई। जिसकी पालना में उप पंजीयक, पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग नीमकाथाना के पत्रांक 230/उपपंजीयक/2021 दिनांक 11.1.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली है। साक्ष्य वादी में वादी बहादुरसिंह का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया। वकील वादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा साक्ष्य वादी पेश हो जाने से वकील वादी ने प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया है।

वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। हमनें वादी अभिभाषक की बहस़ सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 से वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 04.09.1996 के द्वारा क्रय की गई है। जिसकी तस्दीक उप पंजीयक एंव तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त जॉच रिपोर्ट से वादी द्वारा प्रतिवादीगण से क्रय किया जाना स्पष्ट प्रकट होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 04.09.1996 से वादग्रस्त आराजी के पुराने भूमि खसरा नम्बर 1040 रकबा 2.68 हैक्टर सम्पूर्ण का बैचान होने से क्रय किये जाने से उक्त भूमियों के नवीन खसरा नम्बर 1038, 1039, 978 कुल किता 3 कुल रकबा 2.68 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा की खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1038, 1039, 978 कुल किता 3 कुल रकबा 2.68 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सामंलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमियों का अकेले वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.10 12:11:25 IST
Reason: SelfAttested

24/2/22

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 1040 रकबा 2.68 हैक्टर तन् जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिसके कृषि भूमि खसरा नम्बर 1038, 1039, 978 कुल किता 3 कुल रकबा 2.68 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सावंलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमियों का अकेले वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिंकार्ड में वादी के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत नहीं करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

24/02/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.10 12:11:25 IST
Reason: SelfAttested

24/02/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)